>

Title: Need to provide pension to retired employees of Navodaya Vidyalaya Samiti under CCS (Pension) Rules, 1972.

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा): नवोदय विद्यालय समिति का गठन सन् 1986 में किया गया था जिसमें केन्द्रीय नागरिक सेवा के नियमों के अधीनस्थ वेतन भुगतान का ढांचा एवं अन्य शर्तों को अपनाया गया था। यह समिति ग्रामीण भातर के गरीब एवं प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने वाली सर्वोत्तम संस्था है। सन् 2005, 2006 एवं 2007 के दौरान संसदीय स्थायी समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि नवोदय विद्यालय समिति के कर्मचारियों को केन्द्रीय नागरिक सेवा (पेंशन), नियम 1972 के अंतर्गत पेंशन एवं भत्तों का लाभ प्रदान किया जाए परन्तु आज तक भी इन कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि स्थायी समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द दिनांक 1.1.2004 से इन कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान कराया जाए।